उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
सख्या-**24/2023/**1151/94-स्टा0नि0-2-2023-700(78)/2023
लखनऊ : दिनांक- **26** अक्टूबर, 2023

**अधिसूचना**
**आदेश**

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या-16, सन् 1908) की धारा-78-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 के अधीन नई इकाई की स्थापना हेतु पूर्वोक्त नीति के पैरा-7 के अनुसार उसमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ ऐसे सारणी के स्तम्भ-4 में यथा दर्शित लिखतों के सम्बन्ध में नीचे सारणी के स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित सीमा तक रजिस्ट्रीकरण शुल्क में छूट प्रदान करती हैं-

| **उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 का पैरा** | **प्रयोजन** | **छूट की सीमा** | **लिखत की प्रकृति** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | पात्र पर्यटन इकाईयों को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 के कार्यान्वयन अवधि के दौरान केवल प्रथम संव्यवहार हेतु रजिस्ट्रीकरण शुल्क में छूट | **100%** | भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद-23 के खण्ड-(क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुसूची (ख) के अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा की लिखत पर |

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोल्लिखित छूट निम्नलिखित प्रतिबन्धों / शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है -

**1-**यदि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 किन्हीं कारणों से समाप्त हो जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन माफी उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहृत की गई समझी जायेगी।

**2-**जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, उद्योग को हस्तान्तरण/पट्टा लिखत में पुष्टि करनी होगी कि विलेख, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 के अधीन निष्पादित किया जा रहा है और उसे उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में भी हस्ताक्षर करना होगा।

**3-**किसी अन्य नीति के अधीन रजिस्ट्रीकरण शुल्क छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई इस नीति और अधिसूचना के अधीन रजिस्ट्रीकरण शुल्क माफी/छूट के लिए पात्र नहीं होगी।

**4-**अधिसूचित उपबन्धों का क्रियान्वयन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी वर्तमान प्रक्रिया सम्बंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**5-**इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध, प्रशासकीय विभाग (पर्यटन विभाग) द्वारा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में जारी शासनादेश के दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।

**6-**रजिस्ट्रीकरण शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक गारण्टी, सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक गारण्टी की परियोजना को पूरा करने के लिए नीति में यथा विहित अवधि से कम नहीं होनी चाहिये हेतु नीति में प्रावधानित की गई है।

**7-**स्टाम्प शुल्क छूट को आच्छादित करने वाले बैंक गारण्टी के नियम और प्रक्रिया रजिस्ट्रीकरण शुल्क छूट को आच्छादित करने वाले बैंक गारंटी पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

**आज्ञा से,**

**लीना जौहरी**
प्रमुख सचिव।

**संख्या-24/2023/1151(1)/94-स्टा0नि0-2-2023-700(78)/2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023**

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**रवीश गुप्ता**
विशेष सचिव।

**संख्या-24/2023/1151(2)/94-स्टा0नि0-2-2023-700(78)/2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

**1-** महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
**2-** स्टाफ आफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
**3-** प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
**4-** प्रमुख सचिव, पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
**5-** महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
**6-** गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**कुलदीप सिंह**
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।